कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ

ई–टेण्डरिंग हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–01/ई0ई0/2017–18

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु आन लाईन निविदायें (http://etender.up.nic.in) के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांकः 25.09.2017 की पूर्वान्ह में 11 बजे तक कार्यालय अधि ासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ में आमन्त्रित की जाती है जो उसी दिनांक 25.09.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मेरठ द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा आन लाईन खोली जायेगी।

आनलाईन निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2) तथा स्वघोषणा पत्र (आई0डी0टी0–3), श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैण्ड प्रतियाँ, धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जोकि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ के पक्ष में बन्धक होगी, की स्कैण्ड प्रति ऑनलाईन निविदा के साथ अपलोड़ करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर राशि (लाख रू0 में)	कार्य पूर्ण करने अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित	पंजीकरण श्रेणी
1	ऊपरी गंगा नहर के बांये किनारे पर कि0मी0 42.250 से कि0मी0 42.530 मे हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य।	24.00	2.40	15 दिवस	354.00	बी एवं उच्चतर
2	ऊपरी गंगा नहर के बांये किनारे पर कि0मी0 52.450 से कि0मी0 52.500 मे हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य।	4.40	0.45	15 दिवस	177.00	सी एवं उच्चतर
3	ऊपरी गंगा नहर के बांये किनारे पर कि0मी0 71.310 से कि0मी0 71.410 मे हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य।	9.30	0.95	15 दिवस	266.00	सी एवं उच्चतर
4	ऊपरी गंगा नहर के दांये किनारे पर कि0मी0 71.310 से कि0मी0 71.450 मे हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य।	13.80	1.40	15 दिवस	266.00	सी एवं उच्चतर
5	ऊपरी गंगा नहर के दांये किनारे पर कि0मी0 72.000 से कि0मी0 72.150 मे हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य।	12.50	1.25	15 दिवस	266.00	सी एवं उच्चतर
6	ऊपरी गंगा नहर के बांये किनारे पर कि0मी0 74.930 से कि0मी0 75.000 एवं दांये किनारे पर कि0मी0 74.930 से कि0मी0 75.000 में हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य।	10.35	1.05	15 दिवस	266.00	सी एवं उच्चतर
7	ऊपरी गंगा नहर के दांये किनारे पर कि0मी0 75.100 से कि0मी0 75.300 मे हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य।	16.90	1.70	15 दिवस	354.00	सी एवं उच्चतर
8	ऊपरी गंगा नहर के पावर चैनल के बांये किनारे पर कि0मी0 68.360 से कि0मी0 68.435 पर निरगाजनी के समीप बर्म कटिंग का कार्य।	6.70	0.70	15 दिवस	266.00	सी एवं उच्चतर
9	ऊपरी गंगा नहर के पावर चैनल के बांये किनारे पर कि0मी0 68.050 से कि0मी0 68.340 पर निरगाजनी के समीप बर्म कटिंग का कार्य।	30.15	3.15	15 दिवस	354.00	बी एवं उच्चतर
10	ऊपरी गंगा नहर के दांये किनारे पर कि0मी0 65.500 से कि0मी0 65.900 एवं कि0मी0 68.100 से 68.340 पर बर्म कटिंग का कार्य।	15.20	1.55	15 दिवस	354.00	सी एवं उच्चतर

11	ऊपरी गंगा नहर के पावर चैनल के दांये किनारे पर कि0मी0 67.750 से कि0मी0 68.340 पर निरगाजनी के समीप बर्म कटिंग का कार्य।	18.10	1.85	15 दिवस	354.00	सी एवं उच्चतर

नियम व शर्तें :–

1– यह निविदा सूचना उ0प्र0 सरकार की वैबसाईट (http://etender.up.nic.in) तथा सिंचाई विभाग की वैबसाईट (http://www.idup.upgovt.in) पर उपलब्ध है।

2– सिंचाई विभाग की वैबसाईट (http://etender.up.nic.in) से दिनांक 18.09.2017 की पूर्वान्हः 10:00 बजे से दिनांक 20.09.2017 अपरान्हः 4:00 बजे तक निविदा प्रपत्र डाउनलोड़ एवं दिनांक 21.09.2017 की अपरान्हः 3:00 बजे से दिनाक 25.09.2017 की पूर्वान्हः 11:00 बजे तक अपलोड़ की जा सकेगी।

3– प्रत्येक निविदा दाता को रू0 100.00 मात्र का जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 मात्र का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि निविदा दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले ऑफर वापस लेने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा में वर्णित प्रमाण पत्रों के साथ साथ धरोहर राशि निविदा प्रपत्र मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैण्ड कॉपी निविदा के साथ अपलोड़ करनी अनिवार्य होगी।

4– निविदा/बिड़ की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

5– निविदा दाता को निविदा प्रपत्रों की हार्ड कॉपी के साथ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0, टेण्डर विक्रय मूल्य जी0एस0टी0 सहित का ड्राफ्ट, (आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2 एवं आई0डी0टी0–3) निर्धारित श्रेणी का पंजीकृत प्रमाण पत्र मूलरूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 22.09.2017 को अपरान्हः 3:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी निविदा अन्य Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6– कोई भी निविदा दाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

7– राज्य बार कान्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगें। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रस्थापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

8– ज्वाईन्ट वेंचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा ड़ालने की द ाा में भाासनादे ा संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रति ात तक बिलो दरें (Below Rates) प्राप्त होने पर 0.50 प्रति ात प्रति 1प्रति ात कम दर पर तथा 10 प्रति ात से अधिक बिलो दरें (Below Rates) पर 1.00 प्रति ात प्रति 1 प्रति ात कम दर पर परफोरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनरा ा जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनरा ा जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनरा ा जब्त कर ली जायेगी।

10– कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा धटायी/बढायी अथवा परिवर्तित की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

11– Technical Evaluation by Tender Committee will be done, Comparative chart would be prepared & Award of contract will be available as per sanction.

12– विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

13– यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

14– यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे

ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

15– प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रो का पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एंव अनुभव प्रमाण–पत्र व अन्य प्रपत्र मूल रूप में ठीक–ठीक उपलब्ध कराये है या नही। इनमे किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में उक्त निविदादाताओं द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नही की जायेगी।

16– सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रचलित नियमों व शासनादेशों के अनुरूप की जायेगीं।

17– इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

18– निविदा दाता को यू0पी0 इलेक्ट्रोनिक्स कॉपरोरेशन लि0, लखनऊ में ई–टेन्डरिंग हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।

19– अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।

20– बीजक से आयकर, जी0एस0टी0, लैबर सैस एवं रॉयल्टी की नियमानुसार कटौती की जायेगी।

21– एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा व सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।

22– अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

23– कार्यस्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की संरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। सभी सरंचनाओं की सुरक्षा हेतु निर्देश मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

24– निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा न होने पर उक्त निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

25– निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

26– निविदा खोले जाने के समय केवल पंजीकृत निविदा दाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

अधिशासी
अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ